डिस्क्लेमर

परामर्श पत्र संख्या 09/2025-26 के मुखपृष्ठ, प्रस्तावना, प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार और हितधारकों के परामर्श की समय-सीमा संबंधी अध्यायों के पृष्ठ 1, 2, 53, 54 और 55 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/बीकेएफएफ/एफएफ/कन्नूर/सीपी-II2023-28

परामर्श पत्र संख्या 09/2025-26

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

बीपीसीएल केआईएएल फ्यूल फार्म प्राइवेट लिमिटेड (बीकेएफएफपीएल) के संबंध में कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, कन्नूर में फ्यूल फार्म और इंटो-प्लेन सेवाओं के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि (01 अप्रैल, 2023 - 31 मार्च, 2028) के लिए टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख : 24 मार्च, 2026

तृतीय तल, उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली– 110003

प्रस्तावना

प्राधिकरण ने बीपीसीएल केआईएएल फ्यूल फॉर्म प्राइवेट लिमिटेड (बीकेएफएफपीएल) द्वारा कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे, कन्नूर में इनकी फ्यूल फार्म सेवाओं के संबंध में प्रस्तुत बहु-वर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) में दिए गए विनियामक बिल्डिंग ब्लॉकों से संबंधित विभिन्न पूर्वानुमानों और आकलनों सहित बहु-वर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) के विस्तृत विश्लेषण के बाद यह परामर्श पत्र जारी किया है। तदनुसार, टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर प्राधिकरण के प्रस्तावों को इस परामर्श पत्र में विस्तार से स्पष्ट गया है।

अत: ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 24 मार्च, 2026 के परामर्श पत्र संख्या 09/2025-26 पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां, अधिमानत: इलैक्ट्रॉनिक रूप में, निम्नलिखित पते पर आमंत्रित की जाती है:

निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी)
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
तृतीय तल, उड़ान भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003

ई-मेल : director-ps@aera.gov.in; satish.kr@aera.gov.in;
प्रतिलिपि secretary@aera.gov.in; trilok@aera.gov.in; lakshmi.2025@aera.gov.in; usps-2@aera.gov.in asmita.manchanda@nic.in

हितधारकों की टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	14 अप्रैल, 2026
जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	21 अप्रैल, 2026

टिप्पणियां एवं जवाबी टिप्पणियां ऐरा की वेबसाइट www.aera.gov.in पर डाली जाएंगी।

किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए निदेशक (नीति एवं सांख्यिकीफ) से दूरभाष संख्या +91-11-24695048 पर संपर्क कर सकते हैं।

11 प्राधिकरणों के प्रस्तावों का सार

द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण से संबंधित प्रासंगिक अध्यायों के संबंध में प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार नीचे प्रस्तुत किया गया है:

अध्याय 2: टैरिफ निर्धारण की कार्यप्रणाली

2.2.1 द्वितीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28) के संबंध में, फ्यूल फार्म और आईटीपी सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए, 'सिंगल टिल' आधार पर 'कॉस्ट प्लस अप्रोच' अपनाना।

अध्याय 3: प्रथम नियंत्रण अवधि के वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ट्रू-अप

3.17.1 तालिका 6 के अनुसार पूंजीगत परिवर्धनों को मानना।

3.17.2 तालिका 10 के अनुसार वैमानिक मूल्यह्रास को मानना।

3.17.3 तालिका 12 के अनुसार आरएबी को मानना।

3.17.4 तालिका 14 के अनुसार एफआरओआर को मानना।

3.17.5 तालिका 17 में दिए गए विवरण के अनुसार ओ एंड एम खर्च को मानना।

3.17.6 तालिका 19 के अनुसार कराधान को मानना।

3.17.7 तालिका 21 के अनुसार एआरआर और कम वसूली को मानना तथा इस कमी को द्वितीय नियंत्रण अवधि के एआरआर में समायोजित करना।

अध्याय 4: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए ईंधन थ्रू-पुट (वॉल्यूम)

4.3.1 बीकेएफएफपीएल के संबंध में तालिका 24 के अनुसार कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए ईंधन थ्रू-पुट पूर्वानुमान को मानना।

4.3.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक ईंधन थ्रू-पुट के आधार पर द्वितीय नियंत्रण अवधि के संबंध में ईंधन थ्रू-पुट को ट्रू-अप करना।

अध्याय 5 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय, मूल्यह्रास और विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी)

5.7.1 तालिका 26 के अनुसार आरएबी के पूंजीगत परिवर्धनों को मानना।

5.7.2 *तालिका 29 के अनुसार मूल्यह्रास को मानना।*

5.7.3 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय लागत कार्यक्षमता और औचित्य की शर्त पर वास्तविक आंकड़ों के आधार पर पूंजीगत व्यय को ट्रू-अप करना।

5.7.4 तालिका 31 के *अनुसार औसत आरएबी को मानना।*

5.7.*5* तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय, वास्तविक आंकड़ों को ध्यान में रखकर आरएबी और औसत आरएबी को ट्रू-अप करना।

अध्याय : 6 प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर (एफआरओआर)

6.3.1 तालिका 33 के अनुसार एफआरओआर को मानना।

6.3.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक सीओडी या भारतीय स्टेट बैंक के एक (01) वर्ष की अवधि के औसत एमसीएलआर, जो भी कम हो, को ध्यान में रखकर द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए ऋण की लागत (एफआरओआर को टू-अप करने के प्रयोजन के लिए) को टू-अप करना।

अध्याय : 7 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) खर्च

7.3.1 तालिका 39 के अनुसार प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

7.3.2 तृतीय नियंत्रण अवधि का टैरिफ निर्धारित करते समय द्वितीय नियंत्रण अवधि के प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को टू-अप करना।

अध्याय : 8 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान

8.3.1 बीकेएफएफपीएल के संबंध में तालिका 41 के अनुसार कून्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक कर को मानना।

8.3.2 द्वितीय नियंत्रण अवधि का टैरिफ निर्धारित करते समय तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक कराधान को टू-अप करना।

अध्याय 9 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा

9.3.1 बीकेएफएफपीएल के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 43 के अनुसार एआरआर को मानना।

9.3.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय द्वितीय नियंत्रण अवधि के एआरआर को टू-अप करना

अध्याय 10 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक राजस्व

10.3.1 बीकेएफएफपीएल के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 46 के अनुसार वैमानिक सेवाओं (एफआईएफ और आईटीपी प्रभार) के लिए टैरिफ को मानना।

10.3.2 बीकेएफएफपीएल के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 47 के अनुसार वैमानिक राजस्व को मानना।

10.3.3 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय द्वितीय नियंत्रण अवधि के वैमानिक राजस्व के टू-अप को मानना।

12 हितधारकों से परामर्श की समय-सीमा

12.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(4) के प्रावधान के अनुसार इस परामर्श पत्र के अन्य अध्यायों की संगत चर्चा के साथ पठित अध्याय 11- प्रस्तावों का सार में निहित प्रस्ताव पर एतद्द्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत है।

12.2 संदेह दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि इस परामर्श पत्र की विषय-वस्तु का प्राधिकरण द्वारा जारी किसी आदेश या निदेश की तरह अर्थ न लगाया जाए। प्राधिकरण इस मामले के जवाब में हितधारकों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में पूर्ण रूप से लिखित रूप में प्रमाणित और स्पष्ट निर्णय करने के बाद ही इस मामले में आदेश जारी करेगा।

12.3 प्राधिकरण उपर्युक्त अध्याय 11 में दिए गए प्रस्ताव पर हितधारकों के लिखित साक्ष्य-आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करता है, जिन्हें अधिक से अधिक 14.*04.2026* तक निम्नलिखित पते पर भेज दिया जाए।

सचिव,
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण,
तृतीय तल, उडान भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली –110003.
टेलिफोन 011-24695048

(अध्यक्ष)

अनुलग्नक - I

बीकेएफएफपीएल के लिए कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर एफआईएफ और आईटीपी सेवाओं के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए ऐरा द्वारा प्रस्तावित टैरिफ

द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रस्तावित टैरिफ 01.05.2026 से लागू होगी

(राशि ₹ /किलोलीटर में)

संयुक्त दर [ईंधन अवसंरचना शुल्क + इंटोप्लेन प्रभार (रिफ्यूलिंग)]		**विमान डीफ़्यूलिंग***	**विमान में ईंधन भरने से डीफ़्यूल किए गए उत्पाद ***	
30.04.2026 तक	**01.05.2026 से**		**06 घंटों के भीतर**	**06 घंटों के बाद**
2620	1830	300	350	400

- *इन सेवाओं के लिए मौजूदा टैरिफ (जो 31.03.2023 को लागू थी) को, द्वितीय नियंत्रण अवधि के शेष टैरिफ वर्षों के लिए भी जारी रखने का प्रस्ताव है।*

टिप्पणी : ऊपर प्रस्तावित टैरिफ दरें अधिकतम दरें हैं, जिनमें कर शामिल नहीं हैं।